

कार्यालय/फैक्स: 05966-222792

देहरादून-0135-2759796

ई-मेल:missionhortiuk@gmail.com

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड  
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)


पत्रांक 715 / Dragon Fruit Registration / 2022-23

दिनांक: देहरादून: जून 20, 2022

—:विज्ञप्ति:—

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित, राज्य सैक्टर एवं जिला सैक्टर एवं अन्य योजनाओं में कास्तकारों को उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी से लाभान्वित करने हेतु NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालय या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या लाईसेन्स धारक डिश्यू कल्चर इकाईयों से ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी रोपण सामग्री पौधों कह दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण के लिये रूचि की अभिव्यक्ति (Eoi) आमन्त्रित की जाती है।

अतः उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की दरें व विशिष्टियां निर्धारित प्रारूप में दिनांक 20.06.2022 को अपरान्ह 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में आमन्त्रित की जाती है। पंजीकरण (Empanelment) हेतु निर्धारित प्रारूप एवं शर्तें बागवानी मिशन की वेबसाईट [www.shm.uk.gov.in](http://www.shm.uk.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

  
(डा० हरमिन्दर सिंह बवेवा)  
निदेशक, उद्यान



## निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी के पौधों से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक या टिश्यू कल्चर इकाईयों में तैयार पौधों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (Eol)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में कास्तकारों को उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी के पौधे से लाभान्वित करने हेतु NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक या टिश्यू कल्चर इकाईयों पौधालयों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण (Empanelment) के लिये अभिव्यक्ति की अभिरुचि (Eol) आमन्त्रित की जाती है। उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों के पंजीकरण हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. उत्तराखण्ड राज्य के मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालय या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या Department Of Science & Technology (DST) से लाईसेन्स धारक, प्रमाणिक टिश्यू कल्चर इकाईयों के द्वारा उत्पादित ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी के पौधों को प्राथमिकता के आधार पर विभाग में संचालित योजनाओं में वितरित किया जायेगा। प्रदेश के पौधालयों में ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी के जिन प्रजातियों के पौधे उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हीं प्रजातियों के पौधों को Eol के माध्यम से पंजीकृत पौधालयों/टिश्यू कल्चर इकाईयों से प्राप्त किया जायेगा। प्रदेश के पौधालयों में उपलब्ध स्ट्राबेरी पौधों को विभागीय योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर विभागीय दरों पर कास्तकारों को वितरित किया जायेगा।
2. आवेदन मात्र NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालयों या टिश्यू कल्चर इकाई से ही स्वीकार किये जायेंगे।
3. आवेदन करने वाली टिश्यू कल्चर इकाईयों को National Certification System for Tissue Culture Raised Plants (NCS-TCP) संलग्न करना होगा।
4. पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर करना होगा। आवेदन के प्रारूप तकनीकी प्रपत्र-1 के साथ आवेदन शुल्क के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट रू० 2,360.00 (18 % GST सहित) जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड के नाम रानीखेत में देय हो, संलग्न करना होगा।
5. वित्तीय प्रपत्र-2 को अलग लिफाफे जो मुहर बन्द हो, जिसे आवेदन के साथ जमा करना होगा।
6. पंजीकरण हेतु बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद रू० 1.00 लाख, वैधता तिथि 31.03.2023 जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो, आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
7. पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप व निर्धारित शर्तें बागवानी मिशन की वेबसाईट [www.shm.uk.gov.in](http://www.shm.uk.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।
8. आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिसके ऊपर "ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों के पंजीकरण हेतु आवेदन" अंकित हो दिनांक 20.06.2022 को सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून में जमा करना होगा।
9. विभाग द्वारा गठित समिति के सम्मुख दिनांक 21.06.2022 को प्रातः 11:00 बजे पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफों को खोला जायेगा।
10. वित्तीय प्रपत्र में उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की दी गई दरों के मोल-भाव (Negotiation) हेतु दिनांक 21.06.2022 को अपराह्न 02:00 बजे आवेदन करने वाले मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालय या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या टिश्यू कल्चर इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ विभागीय गठित कमेटी द्वारा वार्ता कर दरों का निर्धारण किया जायेगा तथा दरों की सहमति हेतु मान्यता प्राप्त पौधालय या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या टिश्यू कल्चर इकाईयों के स्वामी या उनके प्रतिनिधियों से लिखित में सहमति प्राप्त की जायेगी।

ध



11. उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों का पंजीकरण दिनांक 31.03.2023 तक वैध होगा। परन्तु NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों के द्वारा उपलब्ध कराये गये, अनिवार्य अभिलेखों की वैधता तिथि समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित नवीनीकृत अभिलेख समय पर विभाग को प्रस्तुत किये जाने होंगे। नवीनीकृत अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा या निरस्त समझा जायेगा।
12. पंजीकरण की जाने वाली NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों को उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की आपूर्ति हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उत्तराखण्ड फल पौधशाला अधिनियम-2020 (नर्सरी एक्ट) द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसको [www.shm.uk.gov.in](http://www.shm.uk.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
13. आवेदन प्रपत्र के साथ केवल वांछित प्रपत्र ही प्रस्तुत किये जायें, आवेदन के साथ उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों का साहित्य संलग्न न किया जाय। आवेदकों के द्वारा साहित्य को कार्यालय के संबंधित पटल सहायक/अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जाय।
14. जनपदीय अधिकारियों द्वारा कास्तकारों की मांग के अनुसार आपूर्ति आदेश जारी करने के उपरान्त आपूर्ति किये गये उच्चगुणवत्ता युक्त पौधों का सत्यापन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय में किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त सन्तोषजनक आख्या उपलब्ध कराने पर ही फल पौधों का रोपण किया जायेगा।
15. आपूर्ति किये गये उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों के परीक्षण के बाद मानक के अनुरूप पाये जाने पर ही भुगतान क्रेता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
16. प्रत्येक उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों में बारकोड लेबल होना आवश्यक है, जो हैण्डलिंग (रखरखाव) तथा यातायात में आसानी से नहीं हटने वाले हों का उपयोग किया जायेगा, जिसमें पौध का नाम, प्रजाति का नाम, पौधालय/दिश्यू कल्चर इकाई का नाम अंकित करना होगा।

बारकोड लेबल का नमूना-

विवरण	अंकित किया जाय	विवरण	अंकित किया जाय
मान्यता प्राप्त (Accredited)/लाईसेन्स धारक पौधालय /दिश्यू कल्चर इकाई का नाम व पता-	.....	ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों का नाम व प्रजाति-	.....
टैग संख्या-	.....	पंजीकरण संख्या-	.....
ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की उम्र वर्ष में	.....	प्रवर्धन की विधि-	.....
उपचार का नाम व उपचार की तिथि-	.....	रोग एवं व्याधि से मुक्त हों या नहीं-	.....

17. विभाग द्वारा पंजीकरण हेतु EoI प्रक्रिया की तिथि व समय में बिना कारण बताए परिवर्तन/संशोधन (आंशिक या पूर्ण) या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड का होगा। किसी विवाद की स्थिति में निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा तथा वाद का क्षेत्र देहरादून न्यायालय होगा।
18. पंजीकरण की व्यवस्था को बिना कारण बताये किसी भी समय नवीनीकरण अथवा निरस्त करने की कार्यवाही का अधिकार निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड को होगा।
19. कास्तकारों द्वारा विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त विभाग में पंजीकृत NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालयों या दिश्यू कल्चर इकाईयों से उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों का क्रय स्वयं किया जाता है तो क्रय किये गये उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों का सक्षम स्तर से भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त ही बिल/बाउचर प्राप्त होने पर नियमानुसार राजसहायता का भुगतान सम्बन्धित कास्तकार के बैंक खाते में RTGS/DBT के द्वारा किया जायेगा।



20. उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों पर देय राजसहायता की मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कृषक अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वेच्छा से विभाग में पंजीकृत किसी भी मान्यता प्राप्त (Accredited) या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक या दिश्यू कल्चर इकाई से क्रय करने हेतु स्वतन्त्र होगा। कृषकों की लिखित सहमति पर मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा भी उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों का क्रय कर कास्तकारों को वितरित किया जा सकता है।
21. आवेदनकर्ता NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालय या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों द्वारा समस्त अभिलेख स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने होंगे तथा पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तों पर सहमति हेतु मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों पौधालय या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों के स्वामी या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।
22. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटीज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोत्तरी/परिवर्तन किया जाता है तो मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालय या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायेगें।
23. पंजीकरण उपरान्त मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालय या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों को उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों के रोपण एवं उचित परिणाम प्राप्त करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निःशुल्क प्रदान करना होगा तथा तकनीकी साहित्य निःशुल्क प्रदान करना होगा।
24. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालय या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों द्वारा आपूर्ति/विक्रय किए गए उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर पौधशाला अधिनियम के नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी तथा बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद की धनराशि भी जब्त की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों की होगी।
25. यदि प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालय या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों अनुचित कार्यों में लिप्त है तो उस मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालय या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों का पंजीकरण निरस्त कर विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
26. मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
27. विदेशों से उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों के आयात किये जाने की दशा में फल पौधों का Quarantine Certificate बिलों के साथ उपलब्ध कराना होगा।
28. मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों को किसानों की आवश्यकतानुसार उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की आपूर्ति में कोई आपत्ति नहीं होगी।
29. कास्तकारों तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा पंजीकृत दरों से कम दरों पर आपूर्ति हेतु मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों पौधालयों के प्रतिनिधियों से मोल-भाव (Negotiation) किया जा सकता है।
30. औद्योगिक फसलों का उत्पादन मौसम आधारित होने के दृष्टिगत जनपदीय अधिकारियों/कास्तकारों को निर्धारित समयान्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी के पौधों आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
31. उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों के मानक व प्रोटोकॉल निम्नानुसार होंगें।
  - a. ड्रैगन फल (Dragon Fruit) के पौधे मजबूत हो, तथा एक वर्ष उम्र का हो।
  - b. पौधों की वास्तविक किस्म (True To Type) उच्च गुणवत्तायुक्त एवं रोग व विषाणु रहित हो, की सत्यता के लिये नर्सरी स्वामी से रू0 100.00 नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ लेनी होगी, ताकि फल पौध रोपण



सामग्री, गुणवत्तायुक्त एवं रोग व विषाणु रहित नहीं पाये जाने पर पौधालय स्वामी के विरुद्ध विभागीय/वैधानिक कार्यवाही की जा सके।


- c. पौधों में प्रयाप्त मात्रा में जड़ें विकसित हों।
- d. पौधों के खुदान करने के कम से कम 05 दिन बाद ही पौधों का उठान किया जायेगा।
- e. पौध उठान से पूर्व प्रजाति की सत्यता पूर्णतः सत्यापित कर लिया जाय। पौधों के बिल प्रजाति के अनुसार ही तैयार किया जाय। तदनुसार ही कृषकों को प्रजाति के विवरण सहित फल पौध उपलब्ध कराते हुये अभिलेख अनुरक्षित रखे जाय, ताकि विश्वसनीयता बनी रहे।
- f. पौध रोपण कार्य की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से की जायेगी, जिसे जनपद मुख्यालय पर अनुरक्षित किया जायेगा।

#### आवश्यक अभिलेखों का विवरण:-

1. पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर करना होगा। आवेदन के प्रारूप तकनीकी प्रपत्र-1 के साथ आवेदन शुल्क के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट रू0 2,360.00 (18 % GST सहित) जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड के नाम रानीखेत में देय हो, संलग्न करना होगा।
2. वित्तीय प्रपत्र-2 अलग लिफाफे में जो मुहर बन्द हो, जिसे आवेदन के साथ जमा करना होगा।
3. पंजीकरण हेतु बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद रू0 01.00 लाख, वैधता तिथि 31.03.2023 जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो, आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
4. मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों का सक्षम स्तर से प्राप्त लाईसेन्स (Licence) की छायाप्रति।
5. आवेदन करने वाली दिश्यू कल्चर इकाईयों के द्वारा National Certification System for Tissue Culture Raised Plants (NCS-TCP) संलग्न करना होगा।
6. किसी भी मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की न्यूनतम 05 वर्षों की उत्पादन/आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र या साक्ष्य संलग्न करना होगा।
7. मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों के विरुद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद/विधिक, अपराधिक कार्यवाही अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया हो, जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए शपथ पत्र रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप में जमा करना होगा (विवादित न होने का शपथ पत्र)।
8. उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की आपूर्ति के पश्चात् उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की प्रजाति एवं उत्पादन की गारन्टी हेतु गारन्टी प्रदान करनी होगी। उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की प्रजाति, उत्पादन मानकानुसार प्राप्त नहीं होने पर नर्सरी एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा पौधालय को ब्लैक लिस्ट कर बैंक गारन्टी जब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में घोषणा पत्र संलग्न करनी होगी।
9. उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टिनेशन) सहित देनी होगी, जिसके सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी।
10. विदेशों से उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों के आयात करने की दशा में आवेदक पौधालय को भारत सरकार द्वारा पौध रोपण सामग्री आयात सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
11. मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer - Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। विदेशों से उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों के आयात किये जाने की दशा में फल पौधों का Quarantine Certificate बिलों के साथ उपलब्ध कराना होगा।
12. मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों को रू0 100.00 के नोटैराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु दी जा रही

दरों से कम दरों पर उनके द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

13. मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों द्वारा पिछले 05 वर्षों के दौरान लाभान्वित किये गये किसानों में से कम से कम 10 किसानों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर, उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों का नाम, प्रजाति, फल पौधों की संख्या, रोपण का वर्ष व फल पौधों का परिणाम सहित सूची संलग्न करनी होगी।
14. आवेदनकर्ता मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों को अपनी प्रोफाईल उपलब्ध करानी होगी।
15. उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) के दो नमूने व स्ट्राबेरी पौधों के 10 नमूने प्रजातिवार आपूर्ति आदेश प्राप्त होने पर सम्बन्धित मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार को आपूर्ति से पूर्व निःशुल्क उपलब्ध कराने होंगे।

  
निदेशक, उद्यान



निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड  
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी के पौधों से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक या दिश्यू कल्चर इकाईयों में तैयार पौधों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (EoI)

तकनीकी प्रपत्र-1

क्र.स	विवरण	आवश्यक अभिलेख का पृष्ठ संख्या
1	आवेदक मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों का नाम व पता, पौधालय के पैड पर स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य है।	
2	आवेदक मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों को अपने पैड पर पौधालय की विस्तृत प्रोफाईल संलग्न करनी होगी।	
3	अभिव्यक्ति की अभिरुचि (EoI) हेतु प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरण - झापट संख्या..... दिनांक..... धनराशि ₹0 2360.00 बैंक झापट जो निदेशक उद्यान, उत्तराखण्ड के नाम हो तथा रानीखेत में देय हो।	
4	बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो, का विवरण- बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद संख्या..... बैंक का नाम..... वैधता तिथि..... .....धनराशि ₹0 1.00 लाख	
5	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों का पैन कार्ड नम्बर-..... (कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)	
6	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों का जी.एस.टी. नम्बर-..... (यदि है तो छायाप्रति संलग्न करें)	
7	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय का उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी फल पौध उत्पादन के लाईसेन्स की छायाप्रति। आवेदन करने वाली दिश्यू कल्चर इकाईयों के द्वारा National Certification System for Tissue Culture Raised Plants (NCS-TCP) संलग्न करना होगा।	
8	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों का उच्च गुणवत्तायुक्त द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों उत्पादन एवं आपूर्ति का न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र या साक्ष्य संलग्न करना होगा।	
9	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों का उच्च गुणवत्तायुक्त के विरुद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद/विधिक, अपराधिक कार्यवाही अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया हो, जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए शपथ पत्र ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप में जमा करना होगा (विवादित न होने का शपथ पत्र)।	
10	उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की आपूर्ति के पश्चात् उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की प्रजाति एवं उत्पादन की गारन्टी प्रदान करनी होगी। उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की प्रजाति, उत्पादन मानकानुसार प्राप्त नहीं होने पर नर्सरी एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा पौधालय को ब्लैक लिस्ट कर बैंक गारन्टी जब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में घोषणा पत्र संलग्न करनी होगी।	



11	उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डिस्टीनेशन) सहित देनी होगी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक पौधालय को अपने पैड पर लिखित सहमति देनी होगी।
12	विदेशों से उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों के आयात करने की दशा में आवेदक पौधालय को भारत सरकार द्वारा पौध रोपण सामग्री आयात सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
13	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों का उच्च गुणवत्तायुक्त पौधालय द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
14	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालय द्वारा पिछले 05 वर्षों के दौरान लामान्वित किये गये किसानों में से कम से कम 05 किसानों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर, उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी का नाम, रूटस्टॉक का नाम, प्रजाति, फल पौधों की संख्या, रोपण का वर्ष व फल पौधों का परिणाम सहित सूची संलग्न करनी होगी।
15	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों को ₹0 100.00 के नोटैराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु दी जा रही दरों से कम दरों पर उनके द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की आपूर्ति नहीं की जा रही है।
16	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों द्वारा लीगल क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत देहरादून होगा (जिसके सम्बन्ध में फर्म/कम्पनी के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी)
17	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/इयूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है तो पौधालय स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान को तत्काल उपलब्ध करायेगें (इस आशय का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)
18	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों द्वारा पंजीकरण उपरान्त उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों के रोपण की तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निःशुल्क प्रदान करना होगा (इस आशय का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)
19	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों द्वारा विक्रय किए गए उच्च गुणवत्तायुक्त ड्रैगन फल (Dragon Fruit) व स्ट्राबेरी पौधों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी (सहमति सम्बन्धी स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)

नोट – उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाएँ सत्य एवं प्रमाणित हैं रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जाये। आवेदनकर्ता मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों के स्वामी द्वारा समस्त अभिलेख स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करने होंगे तथा पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तों पर सहमति हेतु मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय या दिश्यू कल्चर इकाईयों के स्वामी या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।

शपथ पत्र— मेरे द्वारा उपरोक्त रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों एवं उत्तराखण्ड पौधालय अधिनियम की नियमावली-2020 की नियमावली का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तों पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

9

फर्म का नाम व पता  
फोन नं० फ़ैक्स/ई.मेल



